**संख्या डी-31016/06/2005-सामान्य**

भारत सरकार

सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली- 110001, दिनाँक 01/05/2014

सेवा में,

सूची अनुसार

विषयः- इस मंत्रालय के वेस्ट पेपर पुराने अखबार इत्यादि बेचने हेतु।

महोदय,

इस मंत्रालय के सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली, आर.के.पुरम, वेस्ट ब्लाक-8, विंग-6 नई दिल्ली कार्यालयों में संविदा निर्धारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित सामान बेचने के संदर्भ में आपको सील बन्द निंविदा देने के लिए आमंत्रित किया जाता है -

1. वेस्ट पेपर
2. पुराने अखबार (बिना कटिंग के)
3. पुराने अखबार (कटिंग सहित)
4. पुरानी किताब, मैंगजीन इत्यादि
5. सीडी
6. कम्प्यूटर सीट

2. मंत्रालय के वेस्ट पेपर पुराने अखबार इत्यादि बेचने हेतु वार्षिक आधार पर एक मुश्द राशि रु० 3,00,000,00 (रु० तीन लाख ) में ठेका निर्धारित किया है। उपर्युक्त वेस्ट पेपर इत्यादि वार्षिक आधार पर कुल एक मुश्द राशि पर बेची जाएँगी। आप उक्त सामान खरीदने के लिए निविदा में एक मुश्द राशि लिखें। जोकि तिमाही आधार पर ली जाएगी तथा रु० 20000/- (रु० बीस हजार मात्र) की राशि जमानत राशि के रुप में जमा कराई जाएगी। जोकि अंतिम भुगतान में समायोजित कर ली जाएगी। आप उपर्युक्त सामान के संदर्भ में निरीक्षण व जानकारी प्राप्ति के लिए वैयक्तिक रुप से निविदा देने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस वाले दिन केयर टेकर से सम्पर्क कर सकते हैं।

3. कूड़ेदान से वेस्ट पेपर इत्यादि की छंटनी के उपरान्त अन्य सभी प्रकार के कूड़े (सूखे पत्ते इत्यादि) को प्रतिदिन फैकने व सफाई करना अनिवार्य होगा। कूड़ेदान में किसी भी तरह की गंदगी नहीं पाई जानी चाहिए। उक्त की अवेहलना करने पर आपको आबंटित कार्य किसी भी समय रद्द किया जा सकता है तथा आपके द्वारा जमा कराई गई एक मुश्द राशि वापिस नहीं की जाएगी।

4. निविदा अद्योहस्ताक्षरी के नाम दिनाँक 23.05.2014 तक अपराहन 3 बजे तक इस मंत्रालय के स्वागत कक्ष के बाहर रखे गए निविदा बाक्स में डाली जा सकती हैं। तदोपरान्त प्राप्त होने वाली कोटेशन मान्य नहीं होगीं। निविदाएँ उसी दिन कमरा न० 201, द्वितीय तल, सरदार पटेल भवन में अपराहन 3.30 बजे खोली जाएँगी। आप स्वंय या आपके प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

5. निविदा के साथ रु० 20000/- (रु० बीस हजार मात्र) का ड्राफ्ट इस मंत्रालय के वेतन व लेखा अधिकारी के नाम का संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ड्राफ्ट के निविदा मान्य नहीं होगी।

6. सफल निविदा की कम्पनी को एक मुश्द राशि का ड्राफ्ट, तिमाही आधार पर इस मंत्रालय के वेतन व लेखा अधिकारी के नाम का तीन दिन के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। मंजूर राशि किस्तों में नहीं ली जाएगी। यदि आप एक मुश्द राशि का ड्राफ्ट, तिमाही आधार जमा कराने में असफल रहते हैं या कार्य करने से इन्कार करते हैं तो आपके द्वारा निविदा के साथ दिया गया रु० 20000/- ( रु० बीस हजार मात्र) का ड्राफ्ट जब्त कर लिया जाएगा ।

7. इस मंत्रालय को बिना कारण बतायें किसी भी कोटेशंन को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

2/5/14

(जी. वैधीश्वरन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष – 23747929

प्रतिलिपिः-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (उनके सामान्य अनुभाग के माध्यम से)।
2. संगणक केन्द्र मंत्रालय के वेबसाइड में डालने प्रतिलिपि सूचनार्थ।
3. उप महा निदेशक, एस.एस.डी., आर.के.पुरम।
4. उप महा निदेशक, ई.एस.डी., जीवन प्रकाश बिल्डिग।